उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या- 34/2016/136/38-1-2016&3508/2013

लखनऊ: दिनांक: 04 अप्रैल, 2016

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2014 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर अन्य के साथ चयनित श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री राम किशोर राम, ग्राम कादरीगंज, पो0 रतनपुरा, थाना- विलासपुर, जनपद-रामपुर को अनुकूल चरित्र सत्यापन एवं राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुए श्री सर्वेश कुमार को जनपद गोण्डा में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

2- जनपद के विकास खण्ड में तैनाती सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3- श्री सर्वेश कुमार को जनपद गोण्डा के विकास खण्ड में 01 माह की फील्ड ट्रेनिंग दिये जाने के उपरान्त ही जिलाधिकारी, गोण्डा के द्वारा इनकी विकास खण्ड में स्वतंत्र रूप से तैनाती की जायेगी।

4- श्री सर्वेश कुमार की सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी।

5- श्री सर्वेश कुमार को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे श्री सर्वेश कुमार को योगदान करने की अनुमति प्रदान न करें।

6- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुॅचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7- प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में इनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली- 1991 ½अद्यावधिक संशोधन सहित½ के सुसंगत नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी। ·

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका ¼सिविल½ संख्या-14299-14301/2007 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 34/2016/136(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/20/2015-का-4-2015 दिनांक 03.09.2015 के संदर्भ में प्रेषित।
(3) निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अलीगंज, लखनऊ।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(5) महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
(9) वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
(10) आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।
(11) श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री राम किशोर राम, ग्राम कादरीगंज, पो0 रतनपुरा, थाना-विलासपुर, जनपद-रामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त समझा जायेगा।
(12) गार्ड फाईल।]

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in